दिनांक 15.04.2017 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार की अध्यक्षता में बामेती, पटना के सभाकक्ष में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– पंजी में संधारित।

सर्वप्रथम कृषि निदेशक, बिहार द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

1. कृषि निदेशक द्वारा सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में काफी प्रयास के बाद कृषि विभाग का सभी योजनाओं अन्तर्गत कुल व्यय 69 प्रतिशत हो सका। गत वर्ष की समस्याओं एवं अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष प्रारम्भ से ही योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रयास करने का निदेश दिया गया। जो भी योजना स्वीकृत हो रही है उसका पंचायतवार/प्रखण्डवार लक्ष्य वितरित कर प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार को ससमय उपलब्ध करा दी जाय तथा उनसे लक्ष्य के अनुसार कृषकों से सम्पर्क कर योजना को कार्यान्वित कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2. **DBT in Fertilizer :–**

नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा **DBT in Fertilizer** विषय पर विस्तृत चर्चा की गई तथा पावर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई। इनके द्वारा सूचित किया गया कि गत वर्ष पूरे भारत में 16 जिलों में यह योजना पाईलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई थी जिसमें बिहार का किशनगंज जिला भी शामिल था। गत वर्ष यह योजना किशनगंज जिला में चलाया गया जो पूर्णतः सफल रहा।

सूचित किया गया कि जून, 2017 से भारत के सभी जिलों में यह योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस हेतु सभी जिला कृषि पदाधिकारियों से कार्यरत सभी खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। सभी खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को निःशुल्क POS(Point of Sale Device) मशीन दिया जाएगा एवं इसे संचालित करने हेतु मास्टर ट्रेनर द्वारा जिला/प्रखण्ड स्तर पर इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा इसमें इनका पंजीकरण किया जायेगा।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3. वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की स्वरूप पर विचार विमर्शः–

सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित किये जाने वाले योजनाओं में यदि कोई बदलाव चाहते हैं/कोई मूलभूत परिवर्तन चाहते हैं/कोई घटक जोड़ना चाहते है या कोई घटक हटाना चाहते हैं तो अपना सुझाव/विचार दें। इस क्रम में निम्न सुझाव प्राप्त हुए।

3.1 जिला कृषि पदाधिकारी, बांका द्वारा बताया गया कि धान एवं गेहूँ के प्रमाणित बीज पर अनुदान का दर 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 रू0/कि0ग्रा0 काफी कम है। 10 वर्षो के अन्दर रिलीज प्रभेद के बीजों को बढ़ावा देने हेतु अनुदान दर को बढ़ाने की आवश्यकता है या राज्य योजना से टॉप–अप देने की जरूरत है।

इस बिन्दु पर विचार कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

(अनु0– उप निदेशक, शष्य, बीज)

3.2 जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा दलहन के चना, मसूर एवं मटर के प्रत्यक्षण मॉडल में बीज का मूल्य अधिक रखने का सुझाव दिया गया।

(अनु0–प्रभारी पदाधिकारी, रा0खा0सु0मि0/रा0कृ0वि0यो0)

3.3 बिहार में इंटरप्रिन्योरशिप को बढ़ावा देने एवं इंटरप्रिन्योरशिप को इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिये जाने का सुझाव प्राप्त हुआ।

3.4 आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पादन के क्रम में प्रमाणीकरण शुल्क से किसानों को मुक्त करते हुए विभाग द्वारा इसका वहन करने का सुझाव प्राप्त हुआ।

3.5 कृषि निदेशक द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रत्येक राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र की जमीन के अलावा उस प्रक्षेत्र के आस–पास के गांवों में 100 हेक्टेयर क्षेत्र को बीज हब के रूप में विकसित किया जाय, जिससे आगामी 10 वर्षो में राज्य को बीज के मामलें में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस कार्य में निजी बीज उत्पादकों को भी सम्मिलित किया जाय।

3.6 राष्ट्रीय बीज निगम एवं एच0आई0एल0 जैसी संस्थायें राज्य के निजी बीज उत्पादकों द्वारा उत्पादित बीजों को क्रय कर उसकी आपूर्ति किसानों को करती हैं, इसलिए राज्य में बीज उत्पादन का कार्य करने वाले निजी बीज उत्पादकों को भी सरकारी योजनाओं में भाग लेने हेतु अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे राज्य में बीज उत्पादन को बढ़ावा भी मिलेगा।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सरकारी/सहकारी एवं राज्य के बीज उत्पादक प्रतिष्ठानों की एक बैठक उनकी अध्यक्षता में आयोजित करवायी जाय जिसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बीज उत्पादकों के भी सुझाव प्राप्त किये जा सकते हैं।

(अनु0–कंडिका 3.3 से 3.6– उप निदेशक, शष्य, बीज)

3.7 निदेश दिया गया कि प्रत्येक राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र का प्रभारी किसी एक किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक को मनोनीत कर दिया जाय। इसका पर्यवेक्षण प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक करेंगें।

(अनु0–उप निदेशक, शष्य, प्रक्षेत्र)

3.8 वित्तीय वर्ष 2017–18 में जिलावार/योजनावार प्राप्त आवंटन एवं व्यय की गई राशि को संधारित करने का निदेश उप निदेशक (शष्य) सूचना को दिया गया।

(अनु0–उप निदेशक, शष्य, सूचना)

3.9 उप निदेशक (शष्य) सूचना को डीजल अनुदान के ऑन लाईन भुगतान हेतु सॉफ्टवेयर तैयार करने का निदेश दिया गया। यह सॉफ्टवेयर आधार नं0 से लिंक रहेगा तथा इसमें डिजिटल हस्ताक्षर रहेगा।

(अनु0–उप निदेशक, शष्य, सूचना)

3.10 निदेशक, बामेती को निदेश दिया गया कि आत्मा के प्रखण्ड स्तरीय अध्यक्ष का पद रिक्त रहने या इनकी अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था रहने हेतु आदेश निर्गत किया जाय।

(अनु0–निदेशक, बामेती)

3.11 सभी योजना के नोडल पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2017–18 की योजनाओं में सामान्य कोटि के लिए 83 प्रतिशत, अनुसूचित जाति कोटि के लिए 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जन–जाति कोटि के लिए 1 प्रतिशत राशि कर्णांकित करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी योजना के नोडल पदाधिकारी)

4. <u>भारत मौसम विज्ञान केन्द्र से संबंधित :–</u>

4.1 भारत मौसम विज्ञान केन्द्र (India Meterological Department) के प्रतिनिधियों द्वारा कृषि प्रक्षेत्रों में मौसम पूर्वानूमान यंत्र की महत्व पर चर्चा की गई। उनके द्वारा जानकारी दी गई कि Medium Range Forecast के अन्तर्गत तापमान, हवा की गति, आद्रता, वर्षापूर्वानुमान की जानकारी "कृषि सलाह बुलेटिन" के माध्यम से कृषकों को दी जाती है। यह Thunderstorm, Hailstorm एवं Squall का पूर्वानुमान करता है। बिहार राज्य में चार स्थानों पर Full Time observetary एवं आठ स्थानों पर Part Time Obsevetary कार्य कर रहे हैं। बताया गया कि भारत मौसम विज्ञान केन्द्र, पटना का रडार राज्य के दूरस्थ जिलों यथा :– किशनगंज, पूर्णिया, बांका, पश्चिम चम्पारण इत्यादि को Cover नहीं कर पाता है। इसलिए बिहार राज्य में तीन अतिरिक्त रडार लगाने का

प्रस्ताव है। सुझाव दिया गया कि पूर्णिया, भागलपुर एवं मोतिहारी में रड़ार लगाकर पूरे बिहार को Cover किया जा सकता है।

(अनु0–भारत मौसम विज्ञान केन्द्र)

4.2 भारत मौसम विज्ञान, केन्द्र के प्रतिनिधि द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारियों से जिला का Major crop, cultivar information एवं Croping Pattern उपलब्ध कराने तथा 17 जिलों में आई0एम0डी0 का केन्द्र स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

4.3 सूचित किया गया कि C.W.W.G. (Crop Weather Watch Group) की बैठक आई0एम0डी0 द्वारा प्रत्येक सप्ताह आयोजित की जाती है। इसमें जिला कृषि पदाधिकारियों, बीज, उर्वरक, उद्यान एवं वन विभाग से संबंधित पदाधिकारियों को भाग लेने का अनुरोध किया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

5. <u>वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभिन्न योजनाओं अंतर्गत राशि की निकासी की स्थिति :–</u>

वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत राशि की निकासी की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि औरंगाबाद में 53.2 प्रतिशत, भोजपुर में 60 प्रतिशत, कैमूर में 49.5 प्रतिशत एवं पश्चिम चम्पारण में मात्र 56 प्रतिशत राशि की निकासी की गई, जो बहुत ही दयनीय है। निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ से ही सभी जिला कृषि पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु ससमय पंचायतवार/प्रखंडवार लक्ष्य को वितरित कर प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार को उपलब्ध करा देंगे एवं प्रति सप्ताह उनके कार्यो की समीक्षा करेंगे।

(अनु0– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

6. <u>मृदा स्वास्थ्य कार्ड :–</u>

मिट्टी नमूना जॉच की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जमुई, कैमूर, नालन्दा, पूर्णिया, रोहतास एवं सुपौल में लक्ष्य के अनुसार मिट्टी नमूना जॉच की स्थिति संतोषजनक नहीं है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को 31 अप्रैल, 2017 तक सभी मिट्टी नमूना जाँच कर लेने तथा 15 मई, 2017 तक सभी कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित कर देने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

7. <u>कृषि यांत्रिकीकरण</u>

राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण द्वारा सूचित किया गया कि इस योजना अन्तर्गत जो अनुदान की राशि की निकासी की गई है उसे जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किसान के खाता में हस्तांतरित करने की गति काफी धीमी है। इस हेतु कृषि यांत्रिकीकरण के सॉफ्टवेयर को 20 अप्रैल, 2017 तक खोला गया है। कतिपय जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा सॉफ्टवेयर को 30 अप्रैल, 2017 तक खोलने का अनुरोध किया गया जिसपर प्रधान सचिव द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

7.1 सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन योजना 2015–16 की समीक्षा के क्रम में सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि अब तक अपने–अपने जिले में स्थापित एवं कार्यरत कृषि यंत्र बैंकों की सूची तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 20.04.2017 तक भेजना सुनिश्चित किया जाय ताकि भारत सरकार द्वारा आयोजित खरीफ नेशनल कॉफ्रेंस के पूर्व इसे भेजा जा सके।

7.2 एस0एम0ए0एम0 योजना वर्ष 2015–16 का प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भेजने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।

(अनु0–कंडिका–7.1 से 7.2–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)